शिक्षा नीति को बेहतर करना

लेखक -अमिताभ भट्टाचार्य (सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न-पत्र- II (शासन व्यवस्था, शिक्षा) से संबंधित है।

द हिन्दू

5 जून, 2019

"वित्त पोषण और संस्थागत संरचनाओं के बारे में विवरण को और अधिक बेहतर बनाना होगा।"

राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 के मसौदे को बनने में लगभग चार साल लग गये, जिसके बाद इसे 30 जून तक सभी हितधारकों द्वारा अपने सुझाव देने के लिए सार्वजनिक कर दिया गया है। टी.एस.आर. सुब्रमण्यन समिति की रिपोर्ट और मानव संसाधन विकास मंत्रालय (MHRD) से इनपुट लेते हुए, के. कस्तूरीरंगन समिति ने एक दस्तावेज तैयार किया है, जो वास्तविक रूप में व्यापक, दूरदर्शी और वास्तविकताओं पर आधारित है।

इसके अनुसार, आजीवन शिक्षा चार स्तंभों पर आधारित है अर्थात् जानने का अधिगम, करने का अधिगम, जीने और साथ रहने का अधिगम तथा बनने का अधिगम, जिसने समिति को शिक्षा क्षेत्र के हर पहलू को कवर करने के लिए प्रेरित किया है, जैसे- स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक और वयस्क शिक्षा। इसमें व्यावसायिक शिक्षा के संपूर्ण विस्तार - इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि, कानून आदि शामिल हैं। यह नीति, विधि के पीछे के वैज्ञानिक औचित्य की व्याख्या करती है और सुझाव देती है कि कैसे प्रस्ताव राज्य और केंद्रीय स्तरों पर व्यवहार में लाये जा सकते हैं।

नीति की अनूठी विशेषताएं

मसौदा नीति क्षेत्र के सभी पहलुओं को सुधारने की कोशिश करती है और नए विचारों का सुझाव देने से नहीं घबराती है। स्कूली शिक्षा में, शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत वर्तमान 6-14 वर्षों के बजाय 3-18 वर्ष के बच्चों को, बचपन की देखभाल और शिक्षा (ईसीसीई) के तहत तीन साल के बच्चों को और माध्यमिक शिक्षा के तहत चार वर्ष तक के बच्चों को कवर करना है। तंत्रिका विज्ञान के साक्ष्य के आधार पर कि छह वर्ष की आयु से पहले बच्चे के संचयी मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास होता है और आंगनवाड़ियों में 'स्कूल की तैयारी' शैक्षिक पहलुओं पर प्रकाश डालती है, ईसीसीई उस उम्र के बच्चों के समूह के लिए खेल और खोज-आधारित सीखने की सुविधा प्रदान करेगा।

एक अन्य नवीन विचार राष्ट्रीय अध्यापक कार्यक्रम और उपचारात्मक निर्देशात्मक सहयोग कार्यक्रम (National Tutors Programme and the Remedial Instructional Aides Programme) जैसी पहलों के माध्यम से 'सार्वभौमिक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता' को प्राप्त करना है। स्कूल परिसरों के परिचय में, लचीलेपन की अनुमति देने के लिए मॉड्यूलर बोर्ड परीक्षाओं की एक प्रणाली, वंचित क्षेत्रों में विशेष शिक्षा क्षेत्र स्थापित करना, शिक्षकों को प्रणाली के केंद्र में मान्यता देना, शिक्षक शिक्षा को विश्वविद्यालय प्रणाली में स्थानांतरित करना और नई भाषाओं को सीखने के महत्व पर बल देना प्रमुख अनुशंसाओं में शामिल हैं।

उच्च शिक्षा के लिए आगे का रास्ता भी साहसिक प्रस्तावों द्वारा चिह्नित किया गया है। इसका उद्देश्य 2035 तक सकल नामांकन अनुपात को 25% से 50% तक दोगुना करना है और विश्वविद्यालयों को शोध का केंद्र बनाना है (टीयर 1 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के लिए, जो मुख्य रूप से अनुसंधान और कुछ शिक्षण के लिए समर्पित हैं, टीयर 2 विश्वविद्यालय शिक्षण और कुछ शोध के लिए समर्पित हैं टियर 3 संस्थानों में मुख्य रूप से कॉलेज शामिल हैं जिन्हें धीरे-धीरे डिग्री देने वाले स्वायत्त संस्थानों में परिवर्तित किया जाना है)। नीति उदार कलाओं के महत्त्वपूर्ण महत्व को पहचानती है (यह चार साल के पाठ्यक्रमों की पेशकश करने वाले

पांच भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ लिबरल आर्ट्स की स्थापना की सिफारिश करती है) और आधुनिक तथा शास्त्रीय भाषाओं का अध्ययन (यह पाली, प्राकृत और फारसी के लिए राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना की सिफारिश करता है)। यह विनियमन, वित्त पोषण, मानक सेटिंग और मान्यता के लिए अलग-अलग संस्थानों, एक राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन और राष्ट्रीय शिक्षा आयोग का प्रस्ताव करता है। दिलचस्प बात यह है कि 50% छात्रों के लिए व्यावसायिक शिक्षा, स्कूल और उच्च शिक्षा के साथ एकीकृत करने की मांग की जाती है।

कार्यान्वयन में चुनौतियां

ये प्रगतिशील विचार हैं, लेकिन उनके कार्यान्वयन में बाधाएं हैं। ये ज्यादातर फंडिंग आवश्यकताओं और शासन वास्तुकला से संबंधित हैं।

सबसे पहला, जो सिफारिश की जाती है वह है सकल घरेलू उत्पाद के 6% तक सार्वजनिक धन का दोगुना होना और शिक्षा पर समग्र सार्वजनिक व्यय को मौजूदा 10% से 20% तक बढ़ाना। यह वांछनीय है लेकिन यह देखते हुए कि अधिकांश अतिरिक्त धनराशि राज्यों से आनी है निकट भविष्य में संभव नहीं प्रतीत होता है। हालांकि, निजी क्षेत्र को शामिल करते हुए अभिनव वित्तपोषण योजनाएं प्रस्तावित की गई हैं, उन योजनाओं को कैसे आकार दिया जाएगा, यह देखा जाना बाकी है।

दूसरा, पाली, प्राकृत और फारसी के लिए नए संस्थानों की स्थापना करना, जो एक बेहतर विचार प्रतीत होता है, क्या मैसूर में केंद्रीय भारतीय भाषाओं के संस्थान को मजबूत नहीं किया जाना चाहिए और क्या इन भाषाओं की देखभाल के लिए विस्तारित जनादेश वाले विश्वविद्यालयें को अपग्रेड नहीं किया जाना चाहिए?

तीसरा, प्री-स्कूल बच्चों को शामिल करने के लिए आरटीई अधिनियम के तहत कवरेज का विस्तार करना बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन बुनियादी ढांचे और शिक्षक की रिक्तियों की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए, शायद इसे धीरे-धीरे पेश किया जाना चाहिए। अधिनियम का संशोधन शायद कुछ समय के लिए रोक देना चाहिए।

चौथा, प्रधानमंत्री की निगरानी में राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान की स्थापना और एमएचआरडी द्वारा इसकी सेवा लेने का विचार कई विभागों के दृष्टिकोण और कार्यक्रमों को एकीकृत करने के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि, यह कई प्रशासनिक समस्याओं और संभावित कठिनाईयों से भरा हुआ है। एक ही छत के नीचे चिकित्सा या कृषि या कानूनी शिक्षा को लाना विरोध की भावना को बढ़ा सकता है।।

पाँचवां, विनियमन का विचार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण के तहत लाया जा रहा है, सामान्य शिक्षा परिषद् के तहत मानक स्थापित करने और उच्च शिक्षा अनुदान परिषद् के तहत वित्त पोषण के लिए एक पुनरीक्षण की आवश्यकता हो सकती है ताकि भारतीय उच्च शिक्षा आयोग वर्तमान विधेयक के साथ समकालीन हो सके। हालांकि, ड्राफ्ट पॉलिसी, इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस और उच्च शिक्षा अनुदान एजेंसी जैसी एजेंसियों पर चुप्पी साधे हुए है।

अंतिम में, भाषा के मुद्दों को संवेदनशील रूप से संभाला जाना चाहिए, जैसा कि हाल ही में देखा गया है। मुद्दे की मूल भावना को समझे बिना ही अक्सर विरोध किया जाता है।

वित्त और संस्थागत संरचनाओं के बारे में विवरण मंत्रिमंडल सचिव के तहत एक अंतर-विभागीय समिति द्वारा जल्द से जल्द बेहतर बना दिया जाना चाहिए। यह सभी कर्त्तव्यनिष्ठ व्यक्तियों के लिए रिपोर्ट का अध्ययन करने और आगे का सबसे अच्छा रास्ता सुझाने का समय है। यदि राजनीतिक नेतृत्व इसका समर्थन करता है, तो नीति का कार्यान्वयन हमारे राष्ट्र को बदल देगा।

GS World टीम...

नई शिक्षा नीति का मसौदा

चर्चा में क्यों?

- हाल ही में जारी किये गये नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लेकर उठे विवाद के बीच मसौदा नीति का संशोधित प्रारूप जारी किया गया, जिसमें गैर हिन्दी भाषी राज्यों में हिन्दी अनिवार्य किए जाने का उल्लेख नहीं है।
- तमिलनाडु में द्रमुक और अन्य दलों ने नई शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले का विरोध किया था और आरोप लगाया था कि यह हिन्दी भाषा थोपने जैसा है।
- नई शिक्षा नीति बनाने के लिए सरकार ने वैज्ञानिक के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। समिति में कुल 11 सदस्य हैं।

क्या हुआ संशोधन?

- संशोधित मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले के तहत छात्र अब कोई भी तीन भाषा पढ़ने के लिए स्वतंत्र होंगे। हालांकि इनमें एक साहित्यिक भाषा जरूरी होगी।
- पुराने मसौदे में हिंदी, अंग्रेजी के साथ कोई एक स्थानीय भाषा पढ़ने का प्रावधान था।
- संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में त्रिभाषा फार्मूले को लचीला कर दिया गया है। अब इनमें किसी भी भाषा का जिक्र नहीं है।
- हालांकि संशोधित शिक्षा नीति के मसौदे में यह साफ कहा गया है कि स्कूली छात्रों को तीन भाषाये पढ़नी होंगी।

प्रमुख सिफारिशें

- इसके तहत शिक्षा के अधिकार अधिनियम (RTE) के दायरे को विस्तृत करने का प्रयास किया गया है, साथ ही स्नातक पाठ्यक्रमों को भी संशोधित किया गया है।
- इस मसौदा नीति में लिबरल आर्ट्स साइंस एजुकेशन के चार वर्षीय कार्यक्रम को फिर से शुरू करने तथा कई कार्यक्रमों के हटाने के विकल्प के साथ-साथ एम. फिल. प्रोग्राम को रद्द करने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- इस मसौदा नीति के अनुसार, पी.एच.डी.करने के लिये या तो मास्टर डिग्री या चार साल की स्नातक डिग्री को अनिवार्य किया गया है।
- नए पाठ्यक्रम में 3 से 18 वर्ष तक के बच्चों को कवर करने के लिये 5+3+3+4 डिजाइन (आयु वर्ग 3-8 वर्ष, 8-11 वर्ष, 11-14 वर्ष और 14-18 वर्ष) तैयार किया गया है जिसमें प्रारंभिक शिक्षा से लेकर स्कूली पाठ्यक्रम तक शिक्षण शास्त्र के पुनर्गठन के भाग के रूप में समावेशन के लिये नीति तैयार की गई है।
- यह मसौदा नीति धारा-12 (1) (सी) (निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों के लिये अनिवार्य 25 प्रतिशत आरक्षण का दुरुपयोग किया जाना) की भी समीक्षा करती है।

अन्य प्रमुख सिफारिशें

- स्कूली शिक्षा के लिये एक स्वतंत्र नियामक 'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' (SSRA) और उच्च शिक्षा के लिये राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा नियामक प्राधिकरण स्थापित किया जाएगा।
- निजी स्कूल अपनी फीस निर्धारित करने के लिये स्वतंत्र हैं, लेकिन वे मनमाने तरीके से स्कूल की फीस में वृद्धि नहीं करेंगे।'राज्य विद्यालय नियामक प्राधिकरण' द्वारा प्रत्येक तीन साल की अवधि के लिये इसका निर्धारण किया जाएगा।
- प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक नए शीर्ष निकाय 'राष्ट्रीय शिक्षा आयोग' की स्थापना की जाएगी, जो सतत् आधार पर शिक्षा के विकास, कार्यान्वयन, मूल्यांकन और शिक्षा के उपयुक्त दृष्टिकोण को लागू करने के लिये उत्तरदायी होगा।
- स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिये गणित, खगोल विज्ञान, दर्शन, चिकित्सा के लिये प्राचीन भारतीय ज्ञान प्रणालियों के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा।
- विदेशों में भारतीय संस्थानों की संख्या में वृद्धि करने के साथ-साथ दुनिया के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों को भारत में अपनी शाखाएँ स्थापित करने की अनुमति दी जाएगी।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. हाल ही में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु एक समिति का गठन किया?
   (a) स्मृति ईरानी
   (b) कल्पना वशिष्ठ
   (c) एस.के. शिवन
   (d) डॉ.के. कस्तूरीरंगन

Q. Recently, the Union Cabinet constituted a committee to prepare the final draft of the National Education Policy under whose chairmanship?
(a) Smriti Irani
(b) kalpana Vashisth
(c) S.K.Shivan
(d) Dr. K. Kasturirangan

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- "हाल ही में समाचारों में चर्चित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2019 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, नवाचार और अनुसंधान जैसे विभिन्न उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु लायी गयी, परन्तु इसके अबाधित कार्यान्वयन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों को दूर किए बगैर इन उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं की जा सकती है। चर्चा कीजिए। **(250 शब्द)**

Q. At the same time, the National Education Policy, 2019 discussed in newspapers, was brought to achieve various objectives like quality education, innovation and research, but these objectives can not be achieved without eliminating the various challenges coming in its uninterrupted implementation. Discuss. (250Words)

नोट : 4 जून को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(c) होगा।

Committed to